सं0सं0–7/प्रा0–01–01/2013– 30(7)9

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि पत्र

स्वास्थ्य विभाग के आवंटनादेश संख्या–08(7)ब दिनांक–22.4.2013 में कंडिका–19 के बाद कंडिका–20 में निम्न रूप से जोड़कर शुद्ध रूप में पढ़ा जायः–

20. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 3316/वि0(2) दिनांक–30.03.2013 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2012–13 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान वर्तमान आवंटन के संबंधित विषय शीर्ष में प्रावधानित राशि से किया जा सकता है । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वो के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गयी है और उनका दावा नियमानुकूल है ।

इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

उक्त आवंटनादेश की अन्य बाते यथावत रहेंगी ।

21/5/13

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 30(7)9 पटना, दिनांक : 21-5-13

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक/ निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी–7/आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

21/5/13

सरकार के संयुक्त सचिव